

नम्बर व  
अहकाम  
हुक्म क  
में ज

क्रि.नं 233/10 हुक्म या कार्यवाही मयू इनिशियल्स जज  
अपखण्ड 4, दुरभीरस

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

फरीकेंन उपस्थित/अनु पीडारीन  
अधिकारी श्री मनोहर को  
पूर्वआज्ञा अनुसार दिनांक 26-8-18 को  
पेश है।

रीडर  
अपखण्ड अधिकारी, वैर

अधिकारी श्री रामेश्वर को  
पूर्वआज्ञा अनुसार दिनांक 7-11-18 को  
पेश है।

अपखण्ड अधिकारी, वैर

~~व्युत्पन्न प्रमाणों का समूह एवं व्यक्तियों  
समूह को शामिल नहीं किया गया। समूह एवं  
व्यक्तियों समूह को नहीं मिला जा सका।  
नतीजा यह है कि समूह का प्रमाण न देना  
होगा। एवं नतीजा यही है कि समूह को  
जमा नहीं किया जा सका। समूह को  
नहीं देना के साथ ही समूह को~~

अपखण्ड अधिकारी  
वैर (मस्तपुर) राज.